24/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तलबी प्रतिवादीगण लौटकर प्राप्त। पत्रावली वास्ते तलबी आदेश हेतु आइंदा दिनांक 12/6/24 को पेश हो।

पुनश्च :- प्रति० सं० 1, 4, 5, 7, 10, 11 व 12 की तामील जरिये रजि० डाक से करवायी गई। बावजूद तामील अनु न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। शेष प्रतिवादीगण की तलबी लौटकर अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी हेतु आइंदा दिनांक 12/6/24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर) 24/4/24
ए. सी. जे. एम. (क. ख.) नवलगढ़

12/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० प्रति० सं. 2, 3, 6, 8, 9, की रजि० डाक की रसीद पेश की उनके हस्ताक्षर के बाद भी अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः उनके खिलाफ भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है बहस मूल प्रार्थना एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/6/24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर) 12/6/24
ए. सी. जे. एम. (क. ख.) नवलगढ़

27/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० बहस एकपक्षीय सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2024 को प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होने

P.T.O.

(हस्ताक्षर)
ए. सी. जे. एम. (क. ख.) नवलगढ़

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
Contd.	से अंतरिम आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश जारी होने के बाद बावजूद रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण की तामील होने के कोई भी उपस्थित नहीं आया है, ना ही पत्रावली पर कोई भी जवाब या खण्डन पेश हुआ है, अतः न्यायालय के आदेश दिनांक 4.3.24 को कन्फर्म किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के पक्ष में न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी होने के बाद कोई भी नया तथ्य या जवाब पत्रावली पर नहीं आया है अतः न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 04.03.2024 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा ग्राम भोजनगर के पुराने खसरा नम्बर 400, 401, 402, नये खसरा नम्बर 596/400 तथा 597/402 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27/06/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हस्ताक्षर 27/06/24 ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.) नवलगढ़	